

31/10
25

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिकता उपस्थित
वकील प्रार्थना का प्रा-पत्र व्यापक में स्वीकार
किया जाता है। परन्तु अगर प्रचलित/कट्टी शस्त्र
चालू था-चल रहा तो उसे बाधित/बंद नहीं किया
जाये पत्थरबाड़ी के दौरान। निर्णय धृष्टक से लिखा
जाकर शांति पत्र किया गया। पत्रावली फल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा